

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ०१ / भीलवाड़ा/2014-15

यह प्रमाणित किया जाता है कि कृष्णदेवप्रसाद सोसायटी भीलवाड़ा

जिला-भीलवाड़ा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संस्था 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ०७ माह अप्रैल

सन् दो हजार २०१६ को भीलवाड़ा में दिया गया।

रजिस्ट्रार
संस्थाएँ, भीलवाड़ा